

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर
आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:- प्रति 1/होम्यो.चिकि./स्थानान्तरण/2019/

दिनांक:-

-:: कार्यालय आदेश ::-

उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 29.09.2019 द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा विभागान्तर्गत किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना जिन जिलों में विधानसभा उप चुनाव-2019 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, वहां पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। इस क्रम में संबंधित के आदेश आदर्श आचार संहिता समाप्त होने पर ही क्रियान्वित किये जावे।

उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी कार्मिक/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।


(डॉ. रामप्रकाश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक

दिनांक:- 29.09.2019

क्रमांक:- प्रति 1/होम्यो.चिकि./स्थानान्तरण/2019/5036

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ. 10(50)आयु./2018 पार्ट दिनांक 29.09.2019 के क्रम में सूचनार्थ।
2. विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित प्रभारी एवं चिकित्साधिकारियों को ई-मेल/WhatsApp कर सूचित करे।
3. प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राज. होम्यो. चिकि./औष. को पालनार्थ।
4. सम्बन्धित, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकि./औष. को पालनार्थ।
5. लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक